भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
*****

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2884

(दिनांक 10.07.2019 को उत्तर के लिए)

नौकरशाही में पार्श्विक प्रवेश हेतु नीति

2884. **श्री राजा अमरेश्वर नाईक :**
डॉ. सुकान्त मजूमदार :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री खगेन मुर्मू :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नौकरशाही में पार्श्विक प्रवेश की नीति आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बिना पारदर्शिता ऐसी पहल से व्यवस्था में अनुत्तरदायित्व और भाई-भतीजावाद बढ़ेगा और लोक सेवक हतोत्साहित होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोक सेवकों हेतु मौजूदा मूल्यांकन व्यवस्था की समीक्षा करने की नितांत आवश्यकता है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार का 15 सप्ताह के फाउन्डेशन कोर्स में कार्य-निष्पादन से सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों हेतु सेवा/कैडर आवंटन को जोड़ने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

(क): सरकार ने समय-समय पर सरकार में विशिष्ट दायित्वों के लिए कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों को संबंधित कार्य-क्षेत्र में उनके विशेष ज्ञान और निपुणता को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया है। नीति आयोग ने अपनी तीन वर्षीय कार्य योजना में तथा शासन संबंधी सचिवों के क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस) ने फरवरी, 2017 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सरकार में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कार्मिकों को भर्ती करने की सिफारिश की है। इसके आधार पर, चिह्नित मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव के 10 पदों तथा उप सचिव/निदेशक स्तर के 40 पदों पर गैर-सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों को नियुक्त करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है।

दस चिह्नित मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव के पद के लिए व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने का विज्ञापन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया था। उम्मीदवारों की संपूर्ण चयन प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सौंपी गई थी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् नौ चिह्नित मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु नौ व्यक्तियों की सिफारिश की है।

(ख): उपर्युक्त भाग 'क' के उत्तर के मद्देनजर जी नहीं। पार्श्विक भर्ती के कारण लोक सेवकों के मनोबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) : सभी सिविल सेवा के अधिकारियों (अखिल भारतीय सेवा के अलावा) के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन सरकारी अनुदेशों द्वारा शासित होती है। सूचना देने वाले अधिकारी वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन प्राधिकारी, पुनर्विलोकन प्राधिकारी और कुछ मामलों में मंजूरकर्ता प्राधिकारी अपनी टिप्पणियों को रिकार्ड करता है। सूचना देने वाले अधिकारी को पूरी वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) भेजी जाती है जिससे उन्हें रिपोर्ट की प्रविष्टियों और अंतिम ग्रेड के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाता है। मौजूदा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन परामर्शी एवं पारदर्शी है।

(ड.) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****